प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली।

सेवा में,

पी0जी0एम0टी0डी0,
बरेली।

पत्रांक 388/न0आ0 /न0नि0ब0/2018–19 दिनांक: 12-07-2018

विषय: अय्यूब खां चौराहे से लेकर नावेल्टी चौराहे तक वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बी0एस0एन0एल0 बरेली द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त कार्य में आने वाले व्यय अंकन 3,91,760.00 रू0 का चैक Circle IFA escrow a/c of BSNL Haryana Circle Ambala के नाम आपके विभाग को दिनांक 16.03.2018 को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त कार्य दिनांक 20.03.2018 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु आज तक जनता को सुचारू रूप से वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायी है। मा0 महापौर जी द्वारा शहर की जनता को आश्वासन दिया गया था कि अय्यूब खां चौराहे से लेकर नावेल्टी चौराहे तक वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जायेगी जो सुचारू रूप से शुरू नही हो पायी है। जिसकी वजह से जनमानस में नगर निगम की छवि धुमिल हो रही है एवं मा0 महापौर जी द्वारा भी रोष व्यक्त किया गया है।

अतः उक्त वाई–फाई सुविधा तीन दिवस के अन्दर सुचारू रूप से शुरू कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे।

नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली।

प्रतिलिपिः–
1. मा0 महापौर जी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली।

12.7.18

Scanned with CamScanner

AMC

~~मुख्य अभियन्ता~~/नगर आयुक्त महोदय।

कृपया नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक सं0 1138/न0आ0/निर्माण विभाग/2017–18 दिनांक 07–03–2018 के द्वारा महाप्रवधन दूरसंचार कार्यालय से अयूब खॉ चौराहे से लेकर नावल्टी चौराहे तक वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यय की जानकारी चाही गयी थी। दूरसंचार विभाग के SDE(EB) O/O PGMTD, BAREILLY में आपने पत्रांक सं0 GM-BR/EB/WI-FI SERVICE/2017-18 दिनांक 14–03–2018 के साथ अंकन 3,91,760,00/–रू का PROVISION DEMAND NOTE प्रस्तुत किया है। अतः BSNL के पक्ष में अंकन 3,91,760,00/–रू का भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कष्ट करें।

16/3/18

16/3/18

16/03/18

16/03/18
न0आ0

Paid by Cheque
Dated 16/3/18
391760

मा0 मेयर साहब

अवलोकित
16/3/18

कार्यालय नगर निगम, बरेली

पत्रांकः–438 /न0आ0/निर्माण विभाग/2017–18 दिनांकः–5/07/17

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
आई0बी0एस0एल0 77 बी, तीसरा तल
इफ्को रोड सैक्टर–18
गुणगॉव हरियाणा,

विषयः– नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में एच0डी0डी0 द्वारा ओ0एफ0सी0 (आप्टिकल फाईबर वाई0फाई0 सिस्टम हेतु केबिल) डाले जाने हेतु रोड कटिंग के चार्जेज का भुगतान जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कम्पनी के पत्रांक/मीमो/आर0जे0आई0एल0/2017–18 दिनांक 12.05.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नगर आयुक्त आवास के सामने रामपुर गार्डन तक व पंचम गर्ल्स हास्टल से अर्चना डेन्टल तक एवं चौकी चौराहे से कचहरी रोड की ओर कुल लम्बाई 1309 मीटर रोड कटिंग की अनुमति चाही गयी है। विभागीय आख्या एवं संस्तुति के आधार पर उक्त कार्य की रोड कटिंग चार्जेज हेतु नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक 397/नि0वि0/2017–18 दिनांक 28–06–17 रोड कटिंग चार्जेज अंकन 1718000.00 रू0 जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया किया गया था जिस पर रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कम्पनी द्वारा एक पत्र देकर पुनः रोड कटिंग चार्जेज पर आपत्ति करते हुये पुनः रोड कटिंग का परीक्षण व जांच करने का अनुरोध किया है उक्त पर प्रभारी नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 30–06–17 के अनुपालन में सम्बन्धित फर्म के साथ पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि स्थल पर रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कम्पनी मात्र 14 के स्थान पर 08 गढ़डे किय जायेगें। जिनके द्वारा आप्टिकल फाइबर वाई0फाई0 सिस्टम हेतु केबिल डाली जायेगी। उक्त के अनुसार 08 गढ़डे लेते हुये संशोधित व्यायानुमान अकन 1682700.00 रू0 का तैयार किया गया है।

यह अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाये कि उक्त कम्पनी अपने हर्ज–खर्चे पर एक साल तक गढड़ो/मार्ग पर समय–2 पर भरान करते रहेगें। कार्य के दौरान जहॉ–2 खुदाई की जायेगी उन स्थलों को उचित बैरीकेटिंग भी कम्पनी द्वारा की जायेगी ताकि दुर्घटना न हो, इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी का होगा। रोड कटिंग हेतु प्रदत्त अनुमति की लम्बाई तक ही केवल लेईग की जायेगी। शासनादेश सं0 1485/नौ–9–2012–16ज/12 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 के समस्त निर्देशों का पालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।

अतः रोड कटिंग चार्जेज अंकन अकन 1682700.00 रू0 (सोलह लाख बियासी हजार सात सौ रू0 मात्र) धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नगर निगम द्वारा रोड कटिंग की अनुमति दी जायेगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली

Navneet Singh
6/7/17
Reliance Jio Info Com Ltd

..., ... 022-22785500, Fax: 022-22785560

10

कार्यालय नगर निगम, बरेली

पत्रांक:– 384 /न0आ0/निर्माण विभाग/2018–19 दिनांक:– 28-5-2018

मै0 रिलाईन्स जियों इन्फों लि0,
227, आर0जे0आई0एल0 चतुर्थ तल,
अभिकर्म काम्पलैक्स मेरठ–250001,

विषय:– रोड कटिंग चार्जेज जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0–72/नौ–9–2018–161ज/12 दिनांक 08 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपकी कम्पनी के पत्र सं0–आर0जे0आई0एल0/ओ0एफ0सी0/एन0एल0डी0/यू0पी0–डब्लू बरेली दिनांक 02–05–2018 के द्वारा बरेली नगर निगम सीमान्तर्गत आकाश टावर (निकट सिटी स्टेशन) से चौपुला, कुतुबखाना, कोहाड़ापीर चौराहा होते हुये कुदेशिया पुल तक केबिल डालने हेतु अनुमति चाही है जिसका रोड कटिंग चार्ज एवं प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करते हुये कुल धनांक 4581200.00 रू0 का होता है। रोड कटिंग की प्रशासनिक धनराशि अंकन 4200.00 रू0 एवं रोड कटिंग चार्जेज 4577000.00 रू0 का प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रशासनिक धनराशि 4200.00 रू0 (चार हजार दो सौ रू0 मात्र) एवं रोड कटिंग चार्जेज अंकन 4577000.00 रू0 (पैतालिस लाख सतत्तर हजार रू0 मात्र) की धनराशि नगर निगम बरेली में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे, तत्पश्चात् ही अनुमति दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली

Recd
30/05/18

7060231311
Peeyush Mishra

१०

कार्यालय नगर निगम, बरेली

पत्रांकः– 1118 /न0आ0/निर्माण विभाग/2017–18 दिनांकः– 03-01-2018

मै0 रिलाईन्स जियों इन्फों लि0,
आई0बी0एस0एल0 77 बी, तीसरा तल
इफ्को रोड सैक्टर–18
गुणगॉव हरियाणा
पिन कोड–122015

विषयः– **नगर निगम बरेली के सिविल लाइन्स क्षेत्रों में 3347 मीटर लम्बाई में रोड पर एच0डी0डी0 द्वारा ओ0एफ0सी0 (आप्टिकल फाईबर केबिल) कच्चे एरिया में डाले जाने हेतु रोड कटिंग किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रश्नगत् मानचित्र के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत निभिन्न मार्गों में केबिल डाले जाने की अनुमति शासनादेश सं0–1485/नौ–9–2012–161ज/12 नगर विकास अनुभाग–नौ दिनांक 15.10.12 के द्वारा 4जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस के अनुसार मांगी गई नगर निगम बरेली के पत्र संख्या 1059/न0आ0/निर्माण विभाग/2017–18 दिनांक 16–12–2017 के अनुसार आपके पत्रांक दिनांक 27–12–2017 के द्वारा अंकन 147602.00 रू0 बैंक गारन्टी एस0आर0नं0–954829 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक बी0जी0 नं0–0541BGR0245918 दिनांक 21–12–2017 प्राप्त हो गया है। नगर निगम सीमान्तगत मार्गो में 3347 मीटर लम्बाई में रोड कटिंग कर केबिल डाले जाने हेतु निम्न शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	क्षेत्रों का नाम	लम्बाई (मी0में)
1	रिलायन्स ज्वेलस से आयूब खां चौराहे तक।	220
2	रिलायन्स ट्रेड से चौपला चौराहे की तरफ।	230
3	बजरंग ढाबे से स्टेडियम रोड की तरफ। (संजय नगर रोड)	1500
4	मठ मईया चौराहे से कोहाड़ापीर की तरफ।	56
5	प्रेमनगर धर्मकांटे से सलेक्शन प्वाइंट तक।	165
6	बी0डी0ए0 कालोनी गेट से इण्डिया मार्ट तक।	150
7	सुभाष नगर पुलिया से चौरासी घण्टा मंदिर तक।	656
8	एच0डी0एफ0सी0 बैंक से सुभाषनगर पुलिया तक।	370
	कुल योग	3347 मीटर

प्रतिबन्ध यह है किः–

1. यह अनुमति मार्ग लेपित सतह के न्यूनतम 2.00 मी0 दूरी कच्चे में प्रत्येक 100 मी0 पर एक पिट जिसका साइज–लम्बाई X चौड़ाई (1.50मी0 X 1.50मी0) तथा गहराई 1.20 मी0 हेतु ही मान्य होगी। कार्य करते समय यातायात बाधित नही किया जायेगा।
2. एच0डी0डी0 से खुदाई के उपरान्त उपरोक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अधीन मार्ग की मरम्मत का कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टयों के अनुसार आपके विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के 72 घण्टे के अन्दर कार्य स्थल यथस्थिति में कर दिया जायेगा।
3. केबिल डालते समय यातायात की सुरक्षा हेतु कोसन बोर्ड एंव अन्य आवश्यक सूचना पट आपके द्वारा लगाये जायेगें।
4. केबिल डालते समय यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिऐं।
5. अनुमति केवल उसी अवधि के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गई है।
6. केबिल डालने के लिए खोदे गये गढडे के चारों ओर से वैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायें।
7. भूमिगत केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नही पहुॅचनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो क्षति की मरम्मत इत्यदि की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
8. केबिल डालते समय मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यो के सम्पादन के समय यह पश्चात् जन सुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा।
9. यह अनुमति दिनांक 20–12–2018 तक ही प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली

Navneet Singh (R.O.W)
प्राप्त किया

Registered Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai-400021, India. Tel: 022-22785500; Fax: 022-22785560

30/4/18

कार्यालय नगर निगम, बरेली

पत्रांकः- 254 /न0आ0/निर्माण विभाग/2017-18 दिनांकः- 27-05-2017

भारती एयरटेल लि0,
टी0सी0जी0, विद्युति खण्ड,
गोमतीनगर लखनऊ उ0प्र0,

विषयः- **रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक कम्पनी के पत्र दिनांक 15-05-17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। कम्पनी द्वारा उल्लेख किया गया है कि कम्पनी द्वारा व्यावसाहिक टैक्स कार्यालय से बलवन्त सिंह मार्ग होते हुये चौकी चौराहा कैंट रोड की ओर 1100 मीटर लम्बाई में ओ0एफ0सी0 केबिल डलाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति दी गयी थी कम्पनी द्वारा प्रेषित बिल धनांक 565458.00 आप द्वारा डी0डी0 सं0-119223 अंकन 565458.00 रू0 एच0डी0एफ0सी0 बैंक की दिनांक 02.05.17 के द्वारा कुल धनांक 565458.00 रू0 (पांच लाख पैसठ हजार चार सौ अट्ठावन रू0 मात्र) प्राप्त कराया गया था। जिसकी कटिंग की अनुमति पूर्व में नगर आयुक्त महोदय के आदेश पत्रांक 162/न0आ0/निर्माण विभाग/2017-18 दिनांक 09-05-17 द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमें शर्त संख्या-07 पर उल्लेखित 16 जून, 2017 के बाद एक माह 15 जुलाई 2017 तक के लिये प्रभावी होगी तथा शर्त संख्या-08 पर उल्लेखित कि उक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 15-06-2017 से पूर्व रोड कटिंग नही की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.05.17 द्वारा अवगत कराया गया कि यह आकस्मिक कार्य है जिसको तुरन्त कराये जाने हेतु एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य, कर (जी0एस0टी0/आई0टी0) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कम्पनी को दिये गिये निर्देशों के अनुपालन में लीज लाइन कनेक्टिविटी स्थापित की जानी है। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 26-05-17 के क्रम में हुयी वार्ता के अनुसार कम्पनी के प्रतिनिधि को दस दिवस के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। **"यह अनुमति स्वीकृति दिनांक से दस दिवस के लिये प्रभावी होगी, तत्पश्चात् स्वतं समाप्त हो जायेगी"**

भवदीय

27/5/17

(शीलधर सिंह यादव)
नगर आयुक्त
नगर निगम, बरेली

Deepak Choudhary